भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1364

जिसका उत्तर 11.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा केयर सेंटर

1364 श्रीमती सागरिका घोषः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थापित नामित ट्रॉमा केयर सेंटर की कुल संख्या, उनके स्थान का ब्यौरा तथा राजमार्ग के निकटतम बिंदु से उनकी सटीक दूरी क्या है;

(ख) क्या ट्रॉमा केयर और अग्निशमन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च जोखिम क्षेत्रों की पहचान हेतु जीआईएस मैपिंग और नेटवर्क विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में नई आपातकालीन सुविधाएँ स्थापित करने या मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार ने ट्रॉमा और बर्न इंजरीज़ (जलने के जख्म) के रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है। कार्यक्रम के तहत, सरकार ने राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा केयर सुविधाएँ स्थापित करने में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए पहल की है, जिसका समग्र उद्देश्य प्रति 100 किमी पर एक अखिल भारतीय ट्रॉमा केयर नेटवर्क विकसित करके सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली, रोकी जा सकने वाली मौतों को कम करना है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्यों को आवंटित किया गया विषय है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस तैनात करता है, जहां प्रशिक्षित ईएमटी / पैरामेडिक्स / नर्सों की तैनाती का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा, अपनी घटना प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के साथ बीएलएस एम्बुलेंस की तैनाती, स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग और घटना प्रबंधन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय परि-तंत्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा कार्यान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के मौजूदा तकनीकी प्लेटफॉर्म अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) और लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) को एकीकृत करके डिजाइन किया गया है। मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटना पीड़ितों के समय पर उपचार को सुनिश्चित करने के लिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) / 112 के साथ टीएमएस का अभिसरण किया जाता है और का.आ. 2489(अ) दिनांकित 4 जून, 2025 के माध्यम से दिशानिर्देश दिए गए हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एम्बुलेंस इकोसिस्टम की पहचान, मैपिंग और सुदृढ़ीकरण और 112 के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है।
